

कार्यालय प्राम पंचायता-
विकास स्थल साजाह
जनपद-
गांजीपुर

बरहपार भौजुराप

दिनांक १७-०६-२३

विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मतान्तर

जवाबदी कराना ह कि दिनांक १७-०६-२३ को प्रातः १०:०० बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों की शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वाड़ सदस्य, लेखपाल, पार्षदिक/जूँड़हाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, औंगनवाड़ी कायंकड़ी/गांगिका कोटेश्वर, १०एन०एस० एवं भाषा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर वार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करन की सहमति दी गयी है। परियोजना के एवं ग्राम पंचायत की सहमति पत्र शालन है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल यात्रा-क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अनुरोध है कि कृपया यथार्थी ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कागजाफी कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

भवदंग

17-06-2020
ग्राम पंचायत सचिव
श्रीम पंचायत आयिकारी
ग्राम पंचायत.....
पि० छां-सावात, गांजीपुर

M.P. Singh
(Director)
Gushma Foundation
(U.T.)

ग्राम पंचायत
श्रीम पंचायत आयिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
पि० छां-सावात, गांजीपुर



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' के बेहतर अनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तयारी की तारीख: १३-०६-२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: १३-०७-२३

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: बृहदपार गोप्तव्यप

ग्राम पंचायत का नाम: बृहदपार गोप्तव्यप

ब्लॉक का नाम: बृहदपार

ज़िला का नाम: गढ़ीपुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम अनुग्रहण कोड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकौशा : (संख्या) मरवीशी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एक.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनात्म, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने नीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूरी लागत का ____ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का मुगलाज नियम जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पर पी.एच.इ.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. दिभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पृष्ठ ५८ अप्रैल २०२३ का संग्रह

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: लौला देवी

सिंग:

आयु:

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत अधिकारी

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)

III. सामाजिक विवरण

6.

2011 की जनगणना में उनमें से:

जनसंख्या (लाख): 15.5

प्रतिशत लोकप्रबल्लय:

मानवाधिकारी की संख्या:

प्रतिशत लोकप्रबल्लय:

7. जनसंख्या अनुमान:

सांख्यिकीय घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण
-वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

प्रमाणित फसल
घास
मुख्य फसल
मानसिक फसल
(अन्य)

प्रमाणित फसल
घास
मुख्य फसल
मानसिक फसल
(अन्य)

प्रमाणित फसल
घास
मुख्य फसल
मानसिक फसल
(अन्य)

10. औसत जिता वर्षा (मि.मी. मि.): 162 २५ १७५ ५.11. इन्द्रियाकृति (समतल, ढलान, आदि): भौजतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानविक्रिया किया गया है? (हाँ/ नहीं) हाँ
(“याज्ञ कार्य चोजना” के साथ मानविक्रिया संस्थापन करें)13. क्या सामाजिक मानविक्रिया किया गया है? (हाँ/ नहीं) हाँ
(“याज्ञ कार्य चोजना” के साथ मानविक्रिया संस्थापन करें)

14.	कृषि	जनगणना	संसाधन	विद्युत	सेवा
1.	आरम्भिक	प्रारंभिक	प्रारंभिक	प्रारंभिक	प्रारंभिक
2.	आगमनिकी	प्रारंभिक	प्रारंभिक	प्रारंभिक	प्रारंभिक
3.	स्थायी	प्रारंभिक	प्रारंभिक	प्रारंभिक	प्रारंभिक
4.	सामन विद्युत विभाग	प्रारंभिक	प्रारंभिक	प्रारंभिक	प्रारंभिक
5.	सेवा	प्रारंभिक	प्रारंभिक	प्रारंभिक	प्रारंभिक

यानी कि कूल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 142.0 के.एल.डी.
 मरुशैर्षी के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 71.0 के.एल.डी.
 मरुशैर्षी कुंडों वाले आवश्यक संख्या: 5
 मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 132.8 के.एल.डी.
 अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 92.5 के.एल.डी.

पानी की उपसर्ति का इतिवल्ल

16. गौच में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/भक्षण/घक्कवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता को सामान्य प्रदृष्टि: **पैटर्न**

17. आपातकतान व्यवस्था का वर्णन इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेत गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। **पैटर्न**


18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक समय, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त **पैटर्न**

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: **भैलरिया, हैला, लिमानी और आर्ट, २०१८**
पानी की गुणवत्ता

20. फिल्टर परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुद्राय के साथ जल गुणवत्ता की घोकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सैनिकी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____



कपड़े धोने / स्थान करने का स्थान

23. यह सम्भावना है कि गोव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नस कलेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:



स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल योग के मामले में, क्या धौरवेल रिचार्ज संरचना है? (हैं/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भवारी की सूची जिनका काचाकल्पमरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदसे जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 56% के ए.ए.डी.अलग-अलग सोखता गड़दों वाले परिवारों की संख्या: 50उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड़दों की आवश्यकता है: 40आवश्यक सामुदायिक सोखता गड़दों की संख्या: 62क्या अपशिष्ट तब्बल तालाब की आवश्यकता है? (हैं/नहीं): हैयदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: ट्रॉफी ११

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के क्षेत्र से अन्य उपायों वाले अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- एर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निधारित नुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलस्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या भरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- गिनी और ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकलन्दर/आदिवासी बसितयों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: उत्पन्न

तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: मृदु निपटन और बढ़ावा देने के लिए अभिनिर्धारित भूमिइस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: मृदु निपटन और बढ़ावा देने के लिए अभिनिर्धारित भूमिवह तारीख, जिस पर यह भूमि पो.एच.इ.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को संपर्क दो जाएगी: 2025योजना की तारीख: 2.00 लाख भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: Xसमुदाय का हिस्सा: 10% व्यवितरण घरेलू अंशदान:

वार्षिक प्रधालन व रखन-खाल शुल्क: _____ व्यवितरण घरेलू मासिक जल शुल्क/


प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूसर्य बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निपिमेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.





योजना का नाम	बैन्ड/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निषि
एकीकृत बाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आर.डब्ल्यू.एम.पी.)	मृग संसाधन विभाग	बाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की समर्पण, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरकार विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
साधीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	बाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिवाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाती विजिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकीकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक उनीकरण कोष प्रबंधन और आवाजना प्राप्तिकरण	पर्यावरण, ऊन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	उनीकरण, ऊन पारास्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, बाटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एम. योजनाओं के लिए आतंकक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय विकास	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल माधूते का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आवीज	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन नियिकों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निषि (टी.एस.ए.वी.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	साहियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	जंतरागम अवसरणना	
एम.एल.ए.एस.ए.डी.	राज्य	जंतरागम अवसरणना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतरागम अवसरणना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.डी.टी. / आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी.पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष पंचायत संघिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चीकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. मानिला गोप्ता	=	6299192422
2. अमिला देवी	=	8299467487
3. बाला देवी	=	9648106360
4. बीरुता देवी	=	8726413143
5. बीरुता	=	9305560643

पप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

ग्राम पंचायत
प्रयोक्ता समूह
विकास खण्ड-साकेत
गांधीनगर

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)